14

No. 479
Date 02-7-2015

02-7-2015

सेवा में,

चेयरमैन शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड,
उ0प्र0, लखनऊ।

Waqf Sayid Mohammad (I-2554)
Abdullapur Meerut

श्रीमान जी,

निवेदन है कि भूमि खसरा संया 89 रकबा 10 बिस्वा 99 रकबा 18 बिस्वा 100 रकबा 14 बिस्वा 101, 6 बिस्वा 102, 5 बिस्वा 103, 9 बिस्वा 104, 4 बिस्वा 105, 2 बिस्वा 106, 14 बिस्वा 107, 14 बिस्वा 108, 1 बिस्वा 109, 10 बिस्वा 110, 6 बिस्वा 111, 8 बिस्वा 112, 2 बीघा 113, 1 बीघा 114, 19 बिस्वा 115, 6 बिस्वा 181, 2 बिस्वा 189, 2 बिस्वा 175, 5 बिस्वा 168, 5 बिस्वा नम्बरान 23 कुल रकबा 10 बीघा 72 बिस्वा पुख्ता अज़ खेवट नं0 1 व 2 स्थित कंकरखेड़ा उर्फ खुर्रमपुर, जिला मेरठ वक्फ अलल औलाद व सैयद मोहम्मद पुत्र सैयद कासिम अली निवास अब्दुल्लापुर द्वारा 26 अप्रैल 1918 को रजिस्टर्ड वक्फ किया था, के अन्तर्गत उक्त नम्बरान वक्फ सम्पत्ति है। उक्त नम्बरान की लीज़ मन्जूर अहमद पुत्र सैयद मोहम्मद व मुसमात अमीर फातमा मरहूम ज़ौजा सैयद कासिम अली ने लाला हंसराज पुत्र लाला गुलराज गोपाल को 20 अप्रैल 1937 को वास्ते फैक्टरी सेन्ट्रल डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स को बराय मुदत पचात साल लिज पर दी थी जो कि सब रजिस्ट्रार मेरठ के यहाँ बही नं0 1 जिल्द नं0 671 के पेज नं0 384 व 385 दस्तावेज नं0 901 दिनांक 20.4.1937 को रजिस्टर हुई थी। जो कि वक्फ नामे की रूह से बिल्कुल गलत था अब उक्त लीज़ की मुददत बराये 50 साल खतम हो चुके हैं। क्योंकि उक्त सम्पत्ति Non ZA की है इसलिए खेवट नं0 1 व 2 पर वक्फ अलल औलाद दर्ज हे व खसरा नं0 पर राजस्व अभिलेखों में लाला हंसराज आदि का नाम उक्त नम्बरान पर दर्ज था। सेन्ट्रल डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स ने उक्त वक्फ सम्पत्ति गैर कानूनी तरीके से यूनाइटेड स्प्रिटस जिसके मालिक विजय मालया हैं के नाम पर हस्तांतरित कर दी।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जो भी उचित कानूनी कार्यवाही हो करने की कृपा करें।

दिनांक :- 2-7-2015

प्रार्थी

(सैयद हुसैन अहमद)
मुतवल्ली
वक्फ सैयद मोहम्मद सं0–I–2554
अब्दुल्लापुर, मेरठ।

No. 729
Date 03/8/2015

सेवा में,

श्रीमान चेयरमैन साहब / मुख्यकार्यपालक अधिकारी,

शिया सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0प्र0,

817, इन्द्रा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

श्रीमान जी,

निवेदन यह हैं कि एक वकफ मारूफ स0 सय्यैद मौहम्मद वाके मौजा अब्दुल्लापुर, ककंरखेडा, परगना व तहसील व जिला मेरठ हैं। जिसका रजि0नं0–2554 हैं। उक्त वकफ सम्पत्ति का एक किरायेनामा दिनांक–20.04.1937 को जनाब सय्यैद मन्जूर अहमद पुत्र स्व0 सय्यैद मौहम्मद व मुसम्मात अमीर फातमा जोजा कासिम अली वलिया सं0 बादशाह अली व अली अब्बास नाबालगान कोम सय्यैद साकिनान अब्दुल्लापुर, परगना व तहसील व जिला मेरठ ने जानकी लाल पिसर मुन्शी, लाला गनेशी लाल कोम वैश साकिन मेरठ बेरयान गम्बट दरवाजा द्वारा मुख्तारे आम लाला हंसराज खलफ लाला गिल राजगोपाल साहब 12, खम्बा रोड देहली मालिक फर्म देहली आईरन सिन्डीकेट मेरठ के हक में बिला परमिशन वकफ बोर्ड मुद्दत 50 साल के लिये नाजायज तरीके से कर दिया था। जो शरायतो पर मबनी था और वासते तामीर फैक्टरी मोसूमा सैन्ट्रल व डिसटेलरी एन्ड कैमिकल वर्क्स लि0 को मुद्दत 50 साल के लिये किराये पर दी थी जो कतई गलत व नाजायज व कलादम है और बिला परमिशन वकफ बोर्ड दी गई हैं और न ही कोई किराया वकफ को दिया जा रहा हैं। हर ऐतबार से काबिले बेदखली हैं इसलिए वकफ एक्ट 43 सन–1995 के

क्रमशः..........

Sh. Mushtaq — Pl. put up before Chairman 5.8.015

R-06.08.15

तहत जरूरी कानूनी कार्यवाही की जानी जरूरी है। ताकि वकफ सम्पत्ति की फलाह व बहबूदी के लिये और वकफ सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिये और वकफ को नुकसान से बचाने के लिये कार्यवाही की जानी जरूरी हैं।

अतः जनाब से गुजारिश हैं कि फरीकेन के खिलाफ वकफ एक्ट 43 सन–1995 के तहत कानूनी कार्यवाही करके बेदखली की कार्यवाही की जाये ताकि वकफ को नुकसान होने से बचाया जा सके। आपकी ऐन नवाजिश होगी।

दिनांक– 3/8/15

प्रार्थी

हुसैन अहमद पुत्र बादशाह अली
मुतवल्ली / मुन्तजिम वकफ
नं0–2554, मौजा अब्दुल्लापुर,
जिला मेरठ।